[2015] 3 उम. नि. प. 1

दरगा राम उर्फ **गूंगा**

बनाम

राजस्थान राज्य

8 जनवरी, 2015

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति आर. बानुमती

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 – नियम 12(3)(ख)] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परिशीलन करने पर यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने बलात्संग और हत्या का जघन्य अपराध किया किंतु अभियुक्त की आयु का कोई अभिलेखीय प्रमाण न होने के कारण चिकित्सीय प्रमाण के आधार पर वह अपराध कारित करने के समय किशोर था, अतः, किशोर द्वारा 14 वर्ष जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, अब उसे छोड़ दिया जाए ।

तारीख 11 अप्रैल, 1988 को अन्य बातों के साथ पुलिस थाना रानी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि तारीख 9 अप्रैल, 1998 को शिकायतकर्ता ने मग्गा राम के कुंए के निकट जागरण का आयोजन किया था । शिकायतकर्ता और अन्य नातेदारों सहित कुल मिलाकर 50 व्यक्ति जागरण में सम्मिलित हुए जो देर रात्रि तक चलता रहा । इस जागरण में शिकायतकर्ता की सात वर्ष की पुत्री कमला भी गई थी जो जागरण के निकट एक स्थान पर अन्य बच्चों के साथ सोने चली गई । जब शिकायतकर्ता अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि कमला मौजूद नहीं है । उसने यह मानकर कि कमला किसी नातेदार के साथ चली गई है, अपने नातेदारों के घरों में जाकर तलाश किया किन्तु कमला का पता नहीं चल सका । इसके पश्चात् पड़ोस के मोहल्लों में भी तलाश किया गया जहां पर मग्गा राम और पुरा राम को कमला का शव मिला । इस सूचना को प्राप्त करके वह और नैना राम उस स्थान पर गए और उन्होंने पाया कि कमला के साथ बलात्संग किया गया और उसका

सिर पत्थर से कुचला गया है । रिपोर्ट के अनुसार, कमला का शव घटनास्थल पर पड़ा हुआ पाया गया । दंड संहिता की धारा 302 और 376 के अधीन उपर्युक्त सूचना के आधार पर मामला दर्ज कराया गया और अन्वेषण आरंभ किया गया जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात् उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और मजिस्ट्रेट ने मामले को अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), बाली को सुपुर्द कर दिया । अपीलार्थी ने सेशन न्यायालय के समक्ष दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अनेक दस्तावेजों का अवलंब लेने के अतिरिक्त 19 साक्षियों की परीक्षा की । तथापि, अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 27 जनवरी, 2004 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया और तदनुसार उसे उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2004 की दांडिक अपील सं. 604 प्रस्तुत की, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील खारिज कर दी और अभियुक्त के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दोनों अपराधों के लिए अधिनिर्णीत दंडादेश की पुष्टि की । अभियुक्त द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय की राय में, परिस्थितियों से साक्ष्य की पूर्ण शृंखला बन जाती है और यही अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी ही असहाय कन्या अर्थात् कमला के साथ बलात्संग करने और उसकी हत्या करने का जिम्मेदार है और यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने कमला को उस स्थान से उठाया था जहां पर वह अन्य बच्चों के साथ सो रही थी और वह उसे वहां से बलात्संग करने और परिणामस्वरूप उसकी हत्या करने के लिए दूर स्थान पर ले गया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य और सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि अपीलार्थी मृतका की हत्या का दोषी है । इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का न्यायालय को किसी प्रकार का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है । अब विचार के लिए यह प्रश्न रहता है कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय में यह अभिवाक् करते हुए आवेदन फाइल

किया है कि अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने के समय किशोर था इसलिए वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का लाभ पाने का हकदार है । चूंकि अपीलार्थी के पास उपर्युक्त अधिनियम में निर्दिष्ट स्कूल प्रमाणपत्र या अन्य जैसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, इसलिए इस न्यायालय ने सरकारी चिकित्सा विद्यालय, जोधपुर के प्रधानाचार्य को निदेश दिया है कि वे अपीलार्थी की विकिरण परीक्षा सहित चिकित्सा परीक्षा कराए जाने के लिए चिकित्सकों का बोर्ड गठित करे ताकि अप्रैल, 1998 में अर्थात् प्रश्नगत अपराध कारित किए जाने के समय पर अपीलार्थी की आयु सुनिश्चित की जा सके । केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को यह निदेश दिया गया कि वे चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी को प्रस्तुत करेंगे ताकि जांच और परीक्षण द्वारा उसकी आयु सुनिश्चित की जा सके । उक्त निदेश के अनुपालन में, प्रधानाचार्य ने अपीलार्थी की आयु तय करने के लिए चिकित्सा बोर्ड गठित किया और तारीख 4 फरवरी, 2014 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई राय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी की आयु 30 से 36 वर्ष के बीच है । ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड ने अधिकतम और न्यूनतम आयु का औसत लिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि चिकित्सा परीक्षा के दिन अपीलार्थी की आयु लगभग 33 वर्ष होगी । इस गणना के आधार पर श्री पंजवाणी ने यह दलील दी है कि यदि चिकित्सा परीक्षा के दिन अपीलार्थी की आयु 30 वर्ष है तब घटना के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 14 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होनी चाहिए । यदि चिकित्सा परीक्षा के दिन अपीलार्थी की आयु 33 वर्ष है तब घटना के समय उसकी आयु 17 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होनी चाहिए और यदि अपीलार्थी की आयु चिकित्सा परीक्षा के दिन 36 वर्ष है तब उसकी आयु घटना के समय 20 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होनी चाहिए । यह दलील दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड द्वारा गणना की गई 30-36 वर्ष की आयु सीमा का औसत निकालकर स्वीकार कर ले तब अपीलार्थी घटना के दिन किशोर माना जाएगा क्योंकि उसकी आयु केवल 17 वर्ष, 2 मास होगी इसलिए वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों का लाभ पाने का हकदार होगा । सम्यक् रूप से गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड, जिसमें शल्य चिकित्सा विज्ञान, रेडियोडायग्नोसिस और न्यायालयिक ओषधि विज्ञान के प्रोफेसर भी शामिल हैं, द्वारा दी गई चिकित्सीय राय के अनुसार अपीलार्थी की आयु चिकित्सा परीक्षा के समय लगभग 33 वर्ष तय की गई है । बोर्ड चिकित्सा परीक्षा के आधार पर

अपीलार्थी की सटीक आयु नहीं बता सका है । ऐसा होने पर, नियम 12 (3)(ख) के निबंधनों में यदि न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक समझता है तब अपीलार्थी एक वर्ष का अन्तर लेकर आयु की न्यूनतम सीमा का लाभ पाने का हकदार है । तथापि, ऐसी किसी कानूनी रियायत की आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा तय की गई अनुमानित आयु अपीलार्थी की ठीक/उचित आयु मानी जाती है, तब भी घटना के समय उसकी आयु लगभग 17 वर्ष, 2 मास थी और इस प्रकार ऊपर उल्लिखित अधिनियम में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति के अर्थांतर्गत वह किशोर कहलाएगा । इस आधार पर न्यायालय को यह मत व्यक्त करना होगा कि हम अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा के दिन चिकित्सा द्वारा अनुमानित की गई 30 से 36 वर्ष की आयु सीमा से अधिक सहमत नहीं हैं । आयु निर्धारण के संबंध में सामान्य नियम यह है कि निर्धारित आयु वास्तविक आयु से 2 वर्ष कम या अधिक हो सकती है किन्तु चिकित्सा बोर्ड ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा का अंतर 6 वर्ष रखा है और इस प्रकार दोनों सीमाओं का मध्यक 33 वर्ष निकाला है । न्यायालय निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता है कि अपीलार्थी की आयु का अनुमान करने का सही तरीका क्या है । आयु का अनुमान करने के संबंध में न्यायालय को यह तथ्य महत्वपूर्ण दिखाई देता है कि यह अनुमान ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया गया है जिसके सदस्य शरीर-रचना विज्ञान, विकिरण-रोग-निदान और न्यायालयिक ओषधि विज्ञान के प्रोफेसर हैं और उनकी राय सम्मानजनक है । इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी की आयु अधिकतम सीमा तक अर्थात् 36 वर्ष मान ली जाए तब भी उसमें न्यूनतम सीमा के लिए 2 वर्ष का अंतर माना जाएगा जिसका यह अर्थ हुआ कि परीक्षा के समय अपीलार्थी की आयु 34 वर्ष थी । न्यायालय में परीक्षा कराए जाने के समय पर अपीलार्थी की आयु 34 वर्ष मानने पर घटना के समय उसकी आयु 18 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होती किंतु ऐसा अनुमान केवल एक अनुमान ही है और अपीलार्थी नियम 12(3)(ख) के निबंधनों में अपनी आयु 1 वर्ष कम करने का अतिरिक्त लाभ पाने का हकदार होगा जिसके अनुसार उसकी आयु 17 वर्ष, 2 मास होगी, अतः वह किशोर कहलाएगा । परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से विचार करने पर न्यायालय चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमान की गई आयु से सहमत है और अपीलार्थी को किशोर घोषित किए जाने से भी सहमत है, भले ही उसने जघन्य अपराध कारित किया है किंतु अधिनियम के अधीन उपलब्ध सुरक्षा के साथ अपीलार्थी के साथ विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम दंड दिया जाना

चाहिए । इस तथ्य से न्यायालय का समाधान हो गया है कि अपीलार्थी जिसे एक निर्दोष बालिका के साथ बलात्संग करने और उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया है, लगभग 14 वर्षों से जेल में है, अब उसे जेल से मुक्त कर देना चाहिए । (पैरा 11, 12, 13, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 513.

2004 की जेल अपील सं. 604 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंड न्यायपीठ के तारीख 20 अगस्त, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विजय पंजवाणी

प्रत्यर्थी की ओर से मिलिंद कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर ने दिया ।

न्या. ठाकुर – अपीलार्थी का विचारण भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है), की धारा 376 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए किया गया और उसे दोषसिद्ध किया गया । बलात्संग के अपराध के लिए धारा 376 के अधीन उसे एक हजार रुपए के जुर्माने के अतिरिक्त 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । इसी प्रकार, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए उसे तीन हजार रुपए के जुर्माने के अतिरिक्त आजीवन कारावास भोगने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त तीन मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया । अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई 2004 की दांडिक अपील सं. 604 की सुनवाई की गई जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंड न्यायपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया । वर्तमान अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है ।

2. तारीख 11 अप्रैल, 1988 को अन्य बातों के साथ पुलिस थाना रानी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें यह कथन किया गया कि तारीख 9 अप्रैल, 1998 को शिकायतकर्ता ने मग्गा राम के कुंए के निकट जागरण का आयोजन किया । शिकायतकर्ता और अन्य नातेदारों सहित कुल मिलाकर 50 व्यक्ति जागरण में सम्मिलित हुए जो देर रात्रि

तक चलता रहा । इस जागरण में शिकायतकर्ता की सात वर्ष की पुत्री कमला भी गई थी जो जागरण के निकट एक स्थान पर अन्य बच्चों के साथ सोने चली गई । जब शिकायतकर्ता अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि कमला मौजूद नहीं है । उसने यह मानकर कि कमला किसी नातेदार के साथ चली गई है, अपने नातेदारों के घरों में जाकर तलाश किया किन्तु कमला का पता नहीं चल सका । इसके पश्चात् पड़ोस के मोहल्लों में भी तलाश किया गया जहां पर मग्गा राम (अभि. सा. 5) और पुरा राम को कमला का शव मिला । इस सूचना को प्राप्त करके वह और नैना राम (अभि. सा. 2) उस स्थान पर गए और उन्होंने पाया कि कमला के साथ बलात्संग किया गया और उसका सिर पत्थर से कुचला गया है । रिपोर्ट के अनुसार, कमला का शव घटनास्थल पर पड़ा हुआ पाया गया ।

3. दंड संहिता की धारा 302 और 376 के अधीन उपर्युक्त सूचना के आधार पर मामला दर्ज कराया गया और अन्वेषण आरंभ किया गया जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और उसके पश्चात् उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया और मजिस्ट्रेट ने मामले को अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), बाली को सुपुर्द कर दिया ।

4. अपीलार्थी ने सेशन न्यायालय के समक्ष दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अनेक दस्तावेजों का अवलंब लेने के अतिरिक्त 19 साक्षियों की परीक्षा की । तथापि, अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 27 जनवरी, 2004 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया और तदनुसार उसे उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 2004 की दांडिक अपील सं. 604 प्रस्तुत की, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपील खारिज कर दी और अभियुक्त के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और दोनों अपराधों के लिए अधिनिर्णीत दंडादेश की पुष्टि की ।

5. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को विस्तार से सुना है । अभियोजन पक्षकथन पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जिसे

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो । तथापि, निचले दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पारिस्थितिक साक्ष्य को यह निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त पाया है कि अपीलार्थी उस अपराध का दोषी है जिसका उस पर आरोप लगाया गया था । हम संक्षेप में, दोषसिद्धि का समर्थन करने वाली परिस्थितियों और साक्ष्य को निर्दिष्ट करेंगे ।

6. सर्वप्रथम ओटा राम (अभि. सा. 4) का अभिसाक्ष्य है जिससे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी जागरण में भाग लेने वाले ग्रामवासियों में से एक था । इसी संबंध में मग्गा राम (अभि. सा. 5) का कथन है और इस साक्षी ने भी यह साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी जागरण में मौजूद था । उसने रात्रि में लगभग 10.00 बजे कमला को देखा था । इन दोनों साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह साबित होता है कि अपीलार्थी और अन्य ग्रामवासियों के अतिरिक्त मृतका कमला भी अन्य बच्चों के साथ जागरण में मौजूद थी और रात्रि भोज के पश्चात् सोने चली गई थी । इस साक्ष्य का समर्थन नैना (अभि. सा. 1) द्वारा भी किया गया है जिसने यह कथन किया है कि लगभग मध्य रात्रि में अपीलार्थी जागरण में उस समय मौजूद था जब अपीलार्थी सहित जागरण में मौजूद व्यक्तियों को चाय पिलाई जा रही थी । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसका पुत्र और पुत्री कमला जागरण के निकट ही सो रहे थे किन्तु प्रातःकाल में कमला वहां मौजूद नहीं थी । हमारी राय में, इन साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है जबकि उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा जागरण का आयोजन किया गया था जिसमें उसकी पुत्री कमला मौजूद थी और बाद में सोने चली गई थी, इस वृत्तांत को भी अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि अपीलार्थी भी जागरण में मौजूद था और उसने मध्य रात्रि में अन्य साक्षियों के साथ चाय पी थी ।

7. इस तथ्य पर कि कमला की मृत्यु मानव वध है निचले न्यायालयों के समक्ष गंभीर रूप से विवाद नहीं किया गया है और न ही हमारे समक्ष कोई विवाद किया गया है और इसका कारण यह है कि शव-परीक्षा करने वाले और उसकी रिपोर्ट तैयार करने वाले डा. ओम प्रकाश कुलदीप (अभि. सा. 18) के कथन से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि कमला की मृत्यु उसके सिर पर कारित हुई क्षति के परिणामस्वरूप मानव वध है । चिकित्सक ने अपने अभिसाक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि मृतका के गुप्तांगों पर भी क्षतियां कारित हुई थीं । शव-परीक्षा रिपोर्ट से मृतक के शरीर पर निम्न

क्षतियां प्रमाणित होती हैं :–

"1. चेहरा सम्मर्दित है ।

2. ऊपरी होंठ कटा हुआ है । दाएं कान से रक्तस्राव हुआ है, दाईं और बाईं जंघा पर वीर्य के धब्बे हैं ।

3. नासास्थि पिचकी हुई है जिसमें अस्थिभंग है ।

4. बाएं नेत्र-गुहा के किनारे पर अस्थिभंग है ।

5. बाईं कपोलास्थि में अस्थिभंग है ।

6. बाएं ऊपरी जबड़े में अस्थिभंग है ।

7. बाईं पार्श्व कपालास्थि और अनुकपालास्थि में अस्थिभंग है जो करोटि तक फैला हुआ है ।

8. निचले और ऊपरी जबड़े के सम्मुख दांत टूटे हुए हैं ।

9. भगौष्ठ पर गुमटे मौजूद हैं ।

10. भगाञ्जलिका और उपजंघिका पर सम्मर्दित घाव है ।

11. योनिच्छद संकुलित है ।"

8. राजेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) ने जिसने मामले में अन्वेषण किया था और घटनास्थल का साक्षी है, मृतका के रक्तरंजित कपड़े अभिगृहीत किए साथ ही मृतका के गुप्तांग से दो बाल भी बरामद किए । इस साक्षी ने अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर उसके रक्तरंजित कपड़े भी अभिगृहीत किए । यह परिस्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालयिक रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पाजामे और कमीज पर "ए" ग्रुप वाला मानवरक्त लगा हुआ था और मृतका का रक्त ग्रुप भी "ए" ही था । जिस पत्थर से मृतका का सिर कुचला गया था उस पत्थर पर भी "ए" ग्रुप वाला मानवरक्त लगा हुआ था ।

9. अभियोजन पक्षकथन के समर्थन में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अपीलार्थी के गुप्तांगों पर अनेक क्षतियां पहुंची थीं । तारीख 13 अप्रैल, 1998 की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-38) के अनुसार अपीलार्थी के शरीर पर निम्न क्षतियां पाई गई हैं :–

(i) रगड़ - आकार 1 x 0.5 से. मी. - दाईं कोहनी के जोड़ के अनुप्रस्थ भाग में

(ii) रगड़ - आकार 3 x 2 से. मी. - बाईं कोहनी के जोड़ के मध्यवर्ती भाग में

(iii) रगड़ - विभिन्न आकार - बाईं कोहनी के जोड़ के अनुप्रस्थ भाग में

(iv) रगड़ - आकार 7.5 x 1 से. मी. - दाएं घुटने के जोड़ के ठीक नीचे की ओर अग्रवर्ती भाग में

(v) रगड़ - आकार 1.5 x 1 से. मी. - बाएं घुटने के जोड़ के अग्रवर्ती भाग में

(vi) रगड़ - आकार 1 x 0.5 से. मी. - बाएं घुटने के जोड़ के अग्रवर्ती भाग के मध्य में

(vii) रगड़ - आकार 1 x 1 से. मी. - बाएं घुटने के जोड़ के अग्रवर्ती भाग में

(viii) रगड़ - आकार 1 x 0.5 से. मी. - शिश्न चर्म के अनुप्रस्थ भाग में

(ix) रगड़ - आकार 2 x 0.25 से. मी. - शिश्न चर्म के दाईं ओर के पार्श्विक भाग में

(x) रगड़ - आकार 0.25 x 0.25 से. मी. - शिश्न मुण्ड के अनुप्रस्थ भाग में

(xi) रगड़ - आकार 2 x 0.25 से. मी. - दाईं जंघा के पार्श्विक भाग में

(xii) रगड़ - आकार 2 x 0.25 से. मी. - दाएं नितंब पर

(xiii) रगड़ - आकार 2 x 1 से. मी. - बाईं हथेली पर

क्रम सं. (i) से (xiii) तक की क्षतियों की अवधि 3 से 5 दिन है ।

10. तथापि, अपीलार्थी द्वारा, क्षतियां पहुंचने के संबंध में, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जबकि एक क्षति अपीलार्थी के शिश्न पर

भी पहुंची है । संक्षेप में, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि :–

"1. ग्राम के बाहर की ओर कुंए के निकट शिकायतकर्ता द्वारा जागरण का आयोजन किया गया था जिसमें मृतका कमला सहित लगभग 50 व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

2. मृतका कमला लगभग रात्रि में भोजन के पश्चात् सो गई थी ।

3. अपीलार्थी ने भी जागरण में भाग लिया था और उसे कुछ अभियोजन साक्षियों के साथ बैठा हुआ देखा गया था ।

4. मृतका कमला अगले दिन प्रातःकाल में लापता पाई गई किन्तु तलाश किए जाने पर ग्राम से कुछ दूर नग्न अवस्था में उसका शव पाया गया और उसके गुप्तांगों पर क्षतियां आई हुई थीं तथा उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था और वह पत्थर भी निकट ही पड़ा हुआ था ।

5. अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर उसके रक्तरंजित कपड़े बरामद किए गए ।

6. जो रक्त पाया गया है वह मानवरक्त है और उसका ग्रुप "ए" है और यही रक्त ग्रुप मृतका कमला का भी है ।

7. चिकित्सा परीक्षा किए जाने पर अपीलार्थी के शरीर पर अनेक क्षतियां पाई गईं, साथ ही उसके शिश्न पर भी क्षति पाई गईं ।

8. जो क्षतियां अपीलार्थी के शरीर पर पाई गई हैं वे 3 से 5 दिन पुरानी हैं ।

9. अपीलार्थी ने उसके शरीर पर आई क्षतियों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है ।"

11. हमारी राय में, उपर्युक्त परिस्थितियों से साक्ष्य की पूर्ण शृंखला बन जाती है और यही अकाट्य निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी ही असहाय कन्या अर्थात् कमला के साथ बलात्संग करने और उसकी हत्या करने का जिम्मेदार है और यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने कमला को उस स्थान से उठाया था जहां पर वह अन्य बच्चों के साथ सो रही थी और वह उसे वहां से बलात्संग करने और परिणामस्वरूप उसकी हत्या करने के लिए दूर स्थान पर ले गया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत

साक्ष्य और सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि अपीलार्थी मृतका की हत्या का दोषी है । हमें इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का किसी प्रकार का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है ।

12. अब विचार के लिए यह प्रश्न रहता है कि अपीलार्थी ने इस न्यायालय में यह अभिवाक् करते हुए आवेदन फाइल किया है कि अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने के समय किशोर था इसलिए वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का लाभ पाने का हकदार है । चूंकि अपीलार्थी के पास उपर्युक्त अधिनियम में निर्दिष्ट स्कूल प्रमाणपत्र या अन्य जैसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, इसलिए इस न्यायालय ने सरकारी चिकित्सा विद्यालय, जोधपुर के प्रधानाचार्य को निदेश दिया है कि वे अपीलार्थी की विकिरण परीक्षा सहित चिकित्सा परीक्षा कराए जाने के लिए चिकित्सकों का बोर्ड गठित करे ताकि अप्रैल, 1998 में अर्थात् प्रश्नगत अपराध कारित किए जाने के समय पर अपीलार्थी की आयु सुनिश्चित की जा सके । केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को यह निदेश दिया गया कि वे चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी को प्रस्तुत करेंगे ताकि जांच और परीक्षण द्वारा उसकी आयु सुनिश्चित की जा सके । उक्त निदेश के अनुपालन में, प्रधानाचार्य ने अपीलार्थी की आयु तय करने के लिए चिकित्सा बोर्ड गठित किया और तारीख 4 फरवरी, 2014 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट के अन्तर्गत निम्न निष्कर्ष और परिणाम निकाले गए हैं :–

> "दरगा राम **उर्फ** गूंगा पुत्र हीरा की आयु का अनुमान कोहनी, कलाई, श्रोणि, उरोस्थि, हंसुली के मध्य-अंत, करोटि और बाएं कंधे के जोड़ के एक्सरे (जिसकी फिल्म सं. 10252 है और उसकी तारीख 4 फरवरी, 2014 है और इसमें कुल मिलाकर 8 फिल्में हैं) और करोटि तथा अधोहनु के सी. टी. स्केन (जिसकी फिल्म सं. 56013 है और तारीख 4 फरवरी, 2014 है और इसमें कुल मिलाकर 4 फिल्में हैं) के आधार पर निम्न प्रकार किया गया है –
>
> 1. कोहनी के जोड़, बहिप्रकोष्ठिका और अंतःप्रकोष्ठिका का निचला छोर, आंत्रांतिक गुच्छा, नितम्बीय गंडक और हंसुली का मध्यांतर 7 स्थानों पर संगलित है, इससे यह पता चलता है कि उसकी आयु 22 वर्ष से अधिक है ।

2. उरोस्थि के सभी अंग एक-दूसरे के साथ संगलित हैं किंतु जायफाइड प्ररोह मेनुब्रियम उरोस्थि के साथ संगलित नहीं है जिससे यह पता चलता है कि उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक किंतु 40 वर्ष से कम है ।

3. शराकार संधि का एक-तिहाई पश्च भाग संगलित है, इससे यह पता चलता है कि दरगा राम की आयु 30 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम है ।

4. जघन तंतुपास्थि के अनुधैर्य-अनुप्रस्थ किनारे पूर्णतया 7वीं श्रेणी के प्रतीत होते हैं जिनकी छवि दानेदार नहीं है, इससे पता चलता है कि अभियुक्त की आयु 36 वर्ष से कम है ।

राय – विकीर्ण संबंधी, दन्त्य और रोग-जांच संबंधी उपरोक्त सभी निष्कर्षों के आधार पर दरगा राम **उर्फ** गूंगा पुत्र हीरा की आयु 30 से 36 वर्ष के बीच है और परीक्षण की तारीख को दरगा राम की औसत आयु लगभग 33 वर्ष है ।

संलग्नक – एक्सरे (8 पत्रक) और सी. टी. स्केन (4 पत्रक) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(डा. एल. रायचन्दानी)	(डा. ए. एल. चौहान)	(डा. पी. सी. व्यास)
आचार्य, शरीर-रचना विज्ञान,	आचार्य, विभागाध्यक्ष विकिरण-रोग निदान,	आचार्य, विभागाध्यक्ष न्यायालयिक आयुर्विज्ञान,
डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर	डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर	डा. एस. एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर"

13. बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई राय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी की आयु 30 से 36 वर्ष के बीच है । ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड ने अधिकतम और न्यूनतम आयु का औसत लिया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि चिकित्सा परीक्षा के दिन अपीलार्थी की आयु लगभग 33 वर्ष होगी । इस गणना के आधार पर श्री पंजवाणी ने यह दलील दी है कि यदि चिकित्सा परीक्षा के दिन अपीलार्थी की आयु 30 वर्ष है तब घटना के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 14 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होनी चाहिए । यदि चिकित्सा परीक्षा के दिन अपीलार्थी की आयु 33 वर्ष है तब

घटना के समय उसकी आयु 17 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होनी चाहिए और यदि अपीलार्थी की आयु चिकित्सा परीक्षा के दिन 36 वर्ष है तब उसकी आयु घटना के समय 20 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होनी चाहिए । यह दलील दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड द्वारा गणना की गई 30-36 वर्ष की आयु सीमा का औसत निकालकर स्वीकार कर ले तब अपीलार्थी घटना के दिन किशोर माना जाएगा क्योंकि उसकी आयु केवल 17 वर्ष, 2 मास होगी इसलिए वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों का लाभ पाने का हकदार होगा ।

14. यह बताया गया है कि अपीलार्थी मूक और वधिर (गूंगा और बहरा) है । वह कभी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गया । अतः उसकी जन्म-तिथि के संबंध में कोई भी औपचारिक रूप से तैयार किया गया अभिलेख नहीं है । अतः घटना के समय उसकी आयु तय किया जाना केवल चिकित्सीय राय द्वारा ही संभव है जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12(3)(ख) के निबंधनों में सम्यक् रूप से गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी गई है । नियम 12(3)(ख) निम्न प्रकार है :–

> "12. आयु का निर्धारण करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –
>
> (1) * * * * *
>
> (2) * * * * *
>
> (3)
>
> (ख) और केवल या तो उपरोक्त खंड क के उपखंड (i), (ii) या (iii) के अभाव में सम्यक् रूप से गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय राय मांगी जाएगी जो किशोर बालक की आयु घोषित करेगी । यदि आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता हो, तब न्यायालय, बोर्ड या समिति, जैसी भी स्थिति हो, उनके द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर वह न्यायालय, बोर्ड या समिति, यदि आवश्यक समझे, उस बालक या किशोर को एक वर्ष के अंतर के भीतर आयु की न्यूनतम सीमा स्वीकार करते हुए लाभ दे सकते हैं,
>
> और ऐसे मामलों में आदेश पारित करते समय उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सीय राय, जो भी हो, पर विचार करने के पश्चात्, जैसी भी स्थिति हो उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करेंगे और

खंड (क)(i), (ii), (iii) या उनके अभाव में खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई भी साक्ष्य ऐसे बालक या किशोर के संबंध में विधि के प्रतिकूल होने पर आयु का निश्चायक सबूत होगा ।'

15. सम्यक् रूप से गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड, जिसमें शल्य चिकित्सा विज्ञान, रेडियोडायग्नोसिस और न्यायालयिक ओषधि विज्ञान के प्रोफेसर भी शामिल हैं, द्वारा दी गई चिकित्सीय राय के अनुसार अपीलार्थी की आयु चिकित्सा परीक्षा के समय लगभग 33 वर्ष तय की गई है । बोर्ड चिकित्सा परीक्षा के आधार पर अपीलार्थी की सटीक आयु नहीं बता सका है । ऐसा होने पर, नियम 12(3)(ख) के निबंधनों में यदि न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक समझता है तब अपीलार्थी एक वर्ष का अन्तर लेकर आयु की न्यूनतम सीमा का लाभ पाने का हकदार है । तथापि, ऐसी किसी कानूनी रियायत की आवश्यकता नहीं हो सकती क्योंकि यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा तय की गई अनुमानित आयु अपीलार्थी की ठीक/उचित आयु मानी जाती है, तब भी घटना के समय उसकी आयु लगभग 17 वर्ष और 2 मास थी और इस प्रकार ऊपर उल्लिखित अधिनियम में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति के अर्थांतर्गत वह किशोर कहलाएगा । इस आधार पर हमें यह मत व्यक्त करना होगा कि हम अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा के दिन चिकित्सा द्वारा अनुमानित की गई 30 से 36 वर्ष की आयु सीमा से अधिक सहमत नहीं हैं । आयु निर्धारण के संबंध में सामान्य नियम यह है कि निर्धारित आयु वास्तविक आयु से 2 वर्ष कम या अधिक हो सकती है किन्तु चिकित्सा बोर्ड ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा का अंतर 6 वर्ष रखा है और इस प्रकार दोनों सीमाओं का मध्यक 33 वर्ष निकाला है । हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि अपीलार्थी की आयु का अनुमान करने का सही तरीका क्या है । आयु का अनुमान करने के संबंध में हमें यह तथ्य महत्वपूर्ण दिखाई देता है कि यह अनुमान ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया गया है जिसके सदस्य शरीर-रचना विज्ञान, विकिरण-रोग-निदान और न्यायालयिक ओषधि विज्ञान के प्रोफेसर हैं और उनकी राय सम्मानजनक है । इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी की आयु अधिकतम सीमा तक अर्थात् 36 वर्ष मान ली जाए तब भी उसमें न्यूनतम सीमा के लिए 2 वर्ष का अंतर माना जाएगा जिसका यह अर्थ हुआ कि परीक्षा के समय अपीलार्थी की आयु 34 वर्ष थी । न्यायालय में परीक्षा कराए जाने के समय पर अपीलार्थी की आयु 34 वर्ष मानने पर घटना के समय उसकी आयु 18 वर्ष, 2 मास और 7 दिन होती किंतु ऐसा

अनुमान केवल एक अनुमान ही है और अपीलार्थी नियम 12(3)(ख) के निबंधनों में अपनी आयु 1 वर्ष कम करने का अतिरिक्त लाभ पाने का हकदार होगा जिसके अनुसार उसकी आयु 17 वर्ष और 2 मास होगी, अतः वह किशोर कहलाएगा ।

16. परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से विचार करने पर हम चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमान की गई आयु से सहमत हैं और अपीलार्थी को किशोर घोषित किए जाने से भी सहमत हैं, भले ही उसने जघन्य अपराध कारित किया है किंतु अधिनियम के अधीन उपलब्ध सुरक्षा के साथ अपीलार्थी के साथ विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए । इस तथ्य से हमारा समाधान हो गया है कि अपीलार्थी जिसे एक निर्दोष बालिका के साथ बलात्संग करने और उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया है, लगभग 14 वर्षों से जेल में है, अब उसे जेल से मुक्त कर देना चाहिए ।

17. परिणामतः, यह अपील भागतः और इस सीमा तक सफल होती है कि दंड संहिता की धारा 302 और 376 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है किंतु उसे अधिनिर्णीत दंडादेश इस निदेश के साथ अपास्त किया जाता है कि अपीलार्थी यदि अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तब उसे कारागार से तत्काल छोड़ा जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस./पा.